राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 519/2019 अनवान मनोज कुमार बनाम विजय कुमार 10

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज		नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.03.2020	प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रकरण उक्त विषयक प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.05.2018 को निर्णय पारित किया जाकर चक 18 ए.जी के खाता संख्या 24/24 में पत्थर नम्बर 188/384 (20) के किला नम्बर 5, 6, 15 में पूर्वी दिशा में पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण 1–1 गट्ठा चौड़ा रास्ता 3 बीघा लम्बा रास्ता स्वीकृत किया गया। स्वीकृत रास्ते के मुआवजा स्वरूप डी.एल.सी. रेट का दुगुना निर्धारित किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्व माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 24.08.2018 के विरूद्व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी संख्या 6599/2018 अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई। उक्त निगरानी ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 07.08.2019 को निर्णय पारित करते प्रकरण इस निर्देश के साथ इस न्यायालय को भिजवाया कि अप्रार्थी की रास्ते में जितनी भूमि जा रही है उतनी भूमि का प्रार्थी अपने काश्त में से अप्रार्थी को देने हेतु स्वीकृत प्रदान कर रास्ते में गई भूमि के बदले डी.एल.सी. दर से पैसे के स्थान पर उतनी भूमि अप्रार्थीगण को दे दिये जाने के निर्देश के साथ इस न्यायालय का मूल अभिलेख लौटाया गया। अतः माननीय माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 07.08.2019 को निर्णय की पालना में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.05.2018 में आंशिक संशोधन करते हुये चक 18 ए.जी. के पत्थर नम्बर 188/384 (20) के किल्ला नम्बर 5, 6, 15 में 1–1 गट्ठा स्वीकृत किये गये रास्ते में डी.एल.सी. की दुगनी राशि के स्थान पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के चिपती भूमि का कुल 0.039 हैक्टर भूमि अप्रार्थीगण को मुआवजा स्वरूप दी जाती है। जिसके सन्दर्भ में तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से अप्रार्थीगण के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में अंकन करना सुनिश्चित करें तथा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 14.05.2018 की पालना में प्रार्थी द्वारा जमाशुदा को प्रार्थी को वापिस लौटाई जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश आज दिनांक 19.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (कपिल यादव) उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलेक्टर हनुमानगढ़	

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.04.09 12:34:45 IST
Reason: SelfAttested